भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 238*

दिनांक 09.12.2014/18 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी का संवर्धन

*238. श्री गणेश सिंहः

श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कामकाज/पत्राचार में हिन्दी का प्रगामी उपयोग संतोषजनक रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने सभी सरकारी विभागों को सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने तथा प्रत्येक सरकारी पत्र का हिन्दी पाठ उपलब्ध कराने के अनुदेश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यालयों में उक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिणाम क्या है; और

(ड.) देश में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों तथा निजी और कॉर्पोरेट क्षेत्रों द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09.12.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 238 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां । सरकारी कामकाज/पत्राचार में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग संतोषजनक है तथापि सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

(ख): केवल राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कागजात (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और शासकीय कागज-पत्र; संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचना और निविदा प्रपत्र) हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने अनिवार्य हैं । गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है।

(ग) और (घ): जी, हां । राजभाषा नीति का पालन सुनिश्चित कराने के लिए

(i) राजभाषा विभाग द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है ।

(ii) वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई उपलब्धियां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती है ।

(iii) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं ।

(iv) नगर स्तर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ।

(v) आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं ।

(vi) राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में तैनात अधिकारी राजभाषाई निरीक्षण आदि करके राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हैं ।

(ङ): देश में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा उपर्युक्त 'ग' और 'घ' में निहित है । निजी तथा कॉर्पोरेट(निजी) क्षेत्र पर राजभाषा नियम लागू नहीं होते ।

****

दिनांक 09.12.2014 को लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर में विवरण

(ख) वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नवार है:-

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को65% 4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक,आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोडकर पुस्तकालय के कुल अनुदानमें से डिजीटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक,सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी औरक्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्ययकी गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)

11. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)
12.(I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		

13. राजभाषा संबंधी बैठकें

(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)

14. कोड,मैनुअल,फार्म,प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद — 100%

15. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो

"क " क्षेत्र	"ख " क्षेत्र	"ग " क्षेत्र
40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/ निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क " क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40% "ख " क्षेत्र में 25% और "ग " क्षेत्र में 15% कार्य हिन्दी में किया जाए ।

राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार वर्गीकृत 'क','ख' एवं 'ग' क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है :-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र